राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/23363 दिनांक :– 02/11/2021

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 325 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन विनियम 2020 के विनियम 16.1 के अनुसार बहु निवास ईकाई/फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग एवं 500 वर्ग मीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूखण्डों में भवन निर्माण पूरा होने पर निमार्णकर्ता को पूर्णता प्रमाण–पत्र व अधिवास प्रमाण –पत्र आवश्यक है।

विनियम 16.2 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत वास्तुविद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

विनियम 16.4 में पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु निकाय स्तर पर एक समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है, जो मौके पर निर्माण की जांच कर सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कई नगरीय निकायों द्वारा इस सम्बन्ध में ना तो कोई समिति गठित की है और ना ही वहॉ पर पंजीकृत आर्किटेक्ट उपलब्ध है। अतः "प्रशासन शहरों के संग" अभियान के दौरान नगर निगम/परिषद/पालिका की एम्पार्वड समिति को ही पूर्णता व अधिवास प्रमाण–पत्र देने हेतु अधिकृत किया जाता है। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 15 दिन में पूर्णता व अधिवास प्रमाण–पत्र निर्धारित राशि लेकर जारी किया जावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 अवधि के लिए ही प्रभावशील रहेगा।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/23364-380 दिनांक :– 02/11/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. जिला कलेक्टर, राजसमन्द, अजमेर, जैसलमेर एवं सिरोही।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर, जोधपुर एवं उदयपुर।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका, नाथद्वारा, पुष्कर, जैसलमेर एवं माउण्ट आबू।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

D/PSKS2021/letter